

पशु अतिचार अधिनियम, 1871

(1871 का अधिनियम संख्यांक 1)¹

[13 जनवरी, 1871]

पशुओं द्वारा अतिचार से संबद्ध विधि को
समेकित और संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—यतः पशुओं द्वारा अतिचार से संबद्ध विधि को समेकित और संशोधित करना समीचीन है ;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

2[1. नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम पशु अतिचार अधिनियम, 1871 कहा जा सकेगा ; और

(2) इसका विस्तार, ³[उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय ³[जो 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] और प्रेसिडेंसी नगरों तथा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के सिवाय जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इसके परिवर्तन से अपवर्जित करे, सम्पूर्ण भारत पर है।

4*

*

*

*

*

2. [अधिनियमों का निरसन—निरसित अधिनियमों के प्रति निर्देश।]—निरसित अधिनियम, 1938 (1938 का 1) द्वारा निरसित।

3. निर्वचन-खंड—इस अधिनियम में, —

“पुलिस अधिकारी” के अन्तर्गत ग्राम चौकीदार भी है तथा “पशु” के अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़ी, खस्सी, टट्टू, बछड़ी, खच्चर, गधे, सुअर, मेंढे, भेड़, मेघ, मेमने, बकरियां और बकरियों के बच्चे भी हैं, ⁵[और]

¹ यह अधिनियम स्थानीय रूप से निम्नलिखित में संशोधित किया गया :—

1954 के अजमेर अधिनियम सं० 5 द्वारा अजमेर में ;

1936 के असम अधिनियम सं० 1 द्वारा असम में ;

1924 के मुम्बई अधिनियम सं० 9, 1926 के मुम्बई अधिनियम सं० 4, 1931 के मुम्बई अधिनियम सं० 5 और 1959 के मुम्बई अधिनियम सं० 13 द्वारा मुम्बई में ;

1935 के मध्य प्रान्त अधिनियम सं० 12, 1937 के मध्य प्रान्त अधिनियम सं० 22, 1948 के मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 27 और 1960 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 11 द्वारा मध्य प्रदेश में ;

1948 के उड़ीसा अधिनियम सं० 15 और 1950 के उड़ीसा अधिनियम सं० 23 द्वारा उड़ीसा में ;

1952 के पंजाब अधिनियम सं० 24 और 1959 के पंजाब अधिनियम सं० 18 द्वारा पंजाब में ;

1939 के उड़ीसा अधिनियम सं० 6 द्वारा सम्बलपुर जिले में ;

1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 7 द्वारा उत्तर प्रदेश में ;

1934 के बंगाल अधिनियम सं० 5 द्वारा पश्चिम बंगाल में ; और 1947 के बंगाल अधिनियम सं० 14, 1948 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 7 और 1956 के पश्चिम बंगाल अधिनियम सं० 4 द्वारा पश्चिम बंगाल में भागतः निरसित किया गया।

1957 के मद्रास अधिनियम सं० 20 द्वारा मद्रास में ;

1961 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं० 3 द्वारा आन्ध्र प्रदेश में ;

1974 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 7 द्वारा हिमाचल प्रदेश में ;

1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश को, 1960 के विनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा कुछ उपान्तरणों सहित (1-11-1960 से) नेफा को इस अधिनियम का विस्तारण किया गया तथा 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली को तथा 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर यह अधिनियम विस्तारित और प्रवृत्त किया गया।

अधिनियम 1-10-1963 से पांडिचेरी में प्रवृत्त हुआ, देखिए 1963 का विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1।

यह अधिनियम 1955 के मैसूर अधिनियम सं० 5 द्वारा वेलारी जिले को और 1961 के केरल अधिनियम सं० 26 द्वारा केरल के मालाबार जिले को लागू होना निरसित किया गया।

² 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 1 द्वारा मूल धारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (3) निरसित।

⁵ 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

।[“स्थानीय प्राधिकारी” से ऐसे व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर किन्हीं मामलों के नियंत्रण और प्रशासन से विधि द्वारा तत्समय विनिहित है, और

“स्थानीय निधि” से किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है।]

अध्याय 2

कांजी हौस और कांजी हौस रखवाले

4. कांजी हौसों की स्थापना—कांजी हौस ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जिनके बारे में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के साधारण नियंत्रण के अध्यक्षीन, समय-समय पर निदेश दे।

इस बात का अवधारण कि प्रत्येक कांजी हौस किस ग्राम द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

5. कांजी हौसों का नियंत्रण। परिवद्ध पशुओं को खिलाने के लिए प्रभारों की दरें—कांजी हौस जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होंगे, और वह परिवद्ध पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिए प्रभारों की दरों को नियत करेगा और समय-समय पर परिवर्तित कर सकेगा।

6. कांजी हौस रखवालों की नियुक्ति। कांजी हौस रखवाले अन्य पदों को धारण कर सकेंगे। कांजी हौस रखवालों का लोक सेवक होना—राज्य सरकार प्रत्येक कांजी हौस के लिए एक कांजी हौस रखवाला नियुक्त करेगी। कोई कांजी हौस रखवाला एक ही समय पर सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकेगा। प्रत्येक कांजी हौस रखवाला भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।]

कांजी हौस रखवालों के कर्तव्य

7. रजिस्टर रखना और विवरणियां देना—प्रत्येक कांजी हौस रखवाला ऐसे रजिस्टर रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

8. अभिग्रहणों को रजिस्टर करना—जब पशु कांजी हौस में लाए जाएं तब कांजी हौस रखवाला अपने रजिस्टर में निम्नलिखित की प्रविष्टि करेगा—

- (क) जीव-जन्तुओं की संख्या और वर्णन,
- (ख) वह दिन और समय जब वे वहां ऐसे लाए गए,
- (ग) अभिग्रहण करने वाले का नाम और निवास स्थान, और
- (घ) स्वामी का, यदि ज्ञात हो, नाम और निवास स्थान,

तथा अभिग्रहण करने वाले या उसके अभिकर्ता को प्रविष्टि की एक प्रति देगा।

9. पशुओं का भार ग्रहण करना और उन्हें खिलाना—कांजी हौस रखवाला पशुओं का तब तक जब तक कि उनका इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट रूप में व्ययन नहीं कर दिया जाता भार ग्रहण करेगा, उन्हें खिलाएगा और पिलाएगा।

अध्याय 3

पशुओं को परिवद्ध करना

10. भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले पशु—किसी भूमि का कृषक या अधिभोगी,

या कोई व्यक्ति जिसने किसी भूमि पर फसल की खेती करने या उपज के लिए नकद उधार दिया है,

या ऐसी फसल या उपज अथवा उसके किसी भाग का क्रेता या बन्धकदार,

ऐसी भूमि पर अतिचार करने वाले और उसको या उस पर की किसी फसल या उपज को नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं पशुओं को अभिगृहीत कर सकेगा या अभिगृहीत करा सकेगा तथा ³[उनको 24 घण्टे के अन्दर] उस कांजी हौस को ³[भेज सकेगा या भिजवा सकेगा] जो उस ग्राम के लिए स्थापित हो जिसमें वह भूमि आस्थित है।

¹ साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3(28) से परिभाषा की तुलना कीजिए जो 14 जनवरी, 1887 के पश्चात् पारित सभी अधिनियमों को लागू होती है।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा धारा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा “उनको अनावश्यक विलम्ब किए बिना ले जाएगा या पहुंचवाएगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अभिग्रहण करने वाले को पुलिस द्वारा सहायता—पुलिस के सब अधिकारी, अपेक्षित किए जाने पर, (क) ऐसे अभिग्रहण के प्रतिरोध को, और (ख) ऐसे अभिग्रहण करने वाले व्यक्तियों से छुड़ाए जाने को, रोकने में सहायता करेंगे।

11. सार्वजनिक सड़कों, नहरों और बांधों को नुकसान पहुंचाने वाले पशु—सार्वजनिक सड़कों, आमोद-प्रमोद स्थलों, बागानों, नहरों, जल-निकास संकर्मों, बांधों आदि के भारसाधक व्यक्ति और पुलिस के अधिकारी, ऐसी सड़कों, स्थलों, बागानों, नहरों, जल-निकास संकर्मों, बांधों आदि अथवा ऐसी सड़कों, नहरों, जल-निकास संकर्मों या बांधों के पार्श्वों या ढालानों को नुकसान पहुंचाने वाले या वहां भटकते हुए पाए गए किन्हीं पशुओं को अभिगृहीत कर सकेंगे या अभिगृहीत करा सकेंगे,

और 2[उनको चौबीस घंटे के अन्दर] निकटतम कांजी हौस को 2[भेजेंगे या भिजवाएंगे।]

12. परिबद्ध पशुओं के लिए जुर्माने—पूर्वोक्त रूप में परिबद्ध प्रत्येक पशु के लिए, कांजी हौस रखवाला ऐसा जुर्माना उद्गृहीत करेगा जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा तत्समय के लिए विहित मान के अनुसार हो। विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न मान विहित किए जा सकेंगे।

ऐसे उद्गृहीत सब जुर्माने ऐसे अधिकारी की मार्फत जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, जिला मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे।

जुर्माने और खिलाने के लिए प्रभारों की सूची—जुर्मानों की और पशुओं को खिलाने और पिलाने के लिए प्रभार दरों की एक सूची प्रत्येक कांजी हौस के या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी।]

अध्याय 4

पशुओं का परिदान या विक्रय

13. जब स्वामी पशुओं का दावा करता है और जुर्मानों और प्रभारों का संदाय करता है तब प्रक्रिया—यदि परिबद्ध पशुओं का स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित हो और पशुओं का दावा करे तो कांजी हौस रखवाला ऐसे पशुओं की बाबत उपगत प्रभारों और जुर्मानों के संदाय पर उसे उनका परिदान कर देगा।

स्वामी या उसका अभिकर्ता, पशुओं को वापस ले जाने पर कांजी हौस रखवाले द्वारा रखे गए रजिस्टर में उनके लिए पावती हस्ताक्षरित करेगा।

14. यदि पशुओं के लिए एक सप्ताह के अन्दर दावा न किया गया तो प्रक्रिया—यदि पशुओं के बारे में दावा उनके परिबद्ध किए जाने की तारीख से सात दिन से अन्दर न किया गया तो कांजी हौस रखवाला उस बात की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को करेगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे।

ऐसा अधिकारी तब अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग में एक सूचना लगाएगा जिसमें निम्नलिखित का कथन होगा—

(क) पशुओं की संख्या और वर्णन,

(ख) वह स्थान जहां वे अभिगृहीत किए गए थे,

(ग) वह स्थान जहां वे परिबद्ध किए गए हैं,

और डौंडी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा अभिग्रहण के स्थान के निकटतम ग्राम और बाजार स्थल में कराएगा।

यदि पशुओं के लिए दावा सूचना की तारीख से सात दिन के अन्दर न किया जाए तो उक्त अधिकारी या उस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त उसके स्थापन के किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे स्थान और समय पर ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी जिला मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, उनका सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय हो कि किन्हीं ऐसे पशुओं का पूर्वोक्त रूप में विक्रय किए जाने पर उचित कीमत मिलने की सम्भाव्यता नहीं है तो उनका व्ययन ऐसी रीति में किया जा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

15. अभिग्रहण की वैधता पर विवाद उठाने वाले किन्तु निक्षेप करने वाले स्वामी को परिदान—यदि स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित होता है और उक्त जुर्मानों और व्ययों का संदाय करने से इस आधार पर इंकार करता है कि अभिग्रहण अवैध था और कि स्वामी धारा 20 के अधीन परिवाद करने ही वाला है तो उन पशुओं की बाबत उपगत प्रभारों और जुर्मानों के निक्षेप पर वे पशु उसे परिदत्त कर दिए जाएंगे।

16. जब स्वामी जुर्मानों और व्ययों का संदाय करने से इंकार करता है या लोप करता है तब प्रक्रिया—यदि स्वामी या उसका अभिकर्ता उपस्थित होता है और उक्त जुर्मानों और व्ययों को संदत्त करने से या (धारा 15 में वर्णित दशा में) उक्त जुर्मानों और व्ययों को

¹ धारा 11 का बनों को लागू होने के संबंध में देखिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 70 ; रेल को लागू होने के संबंध में देखिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9)।

² 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा “अनावश्यक विलम्ब किए बिना ले जाएंगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1921 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा मूल धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ; भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 71 भी देखिए। उस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध पशुओं के लिए जुर्माने के राज्य सरकार भिन्न-भिन्न मापमान नियत कर सकेंगी।

निक्षिप्त करने से इंकार करता है या उसमें लोप करता है तो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान और समय पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी धारा 14 में निर्दिष्ट हैं, उन पशुओं या उनमें से इतनों का जितने आवश्यक हों सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।

जुमानों और व्ययों की कटौती— उद्ग्रहणीय जुमाने और खिलाने और पिलाने के व्यय, विक्रय के व्ययों सहित, यदि कोई हों, विक्रय के आगमों में से काट लिए जाएंगे।

विक्रीत पशुओं का परिदान और आगमों का अतिशेष—शेष पशु और क्रयधन का अतिशेष, यदि कोई हो, निम्नलिखित को दर्शित करने वाले एक विवरण के सहित स्वामी या उसके अभिकर्ता को परिदत्त कर दिया जाएगा—

- (क) अभिगृहीत पशुओं की संख्या ;
- (ख) समय जिसके दौरान वे परिबद्ध किए गए हैं,
- (ग) उपगत प्रभारों और जुमानों की रकम,
- (घ) विक्रीत पशुओं की संख्या,
- (ङ) विक्रय के आगम, और
- (च) वह रीति जिसमें उन आगमों का व्ययन किया गया है।

पावती—स्वामी या उसका अभिकर्ता ऐसे विवरण के अनुसार उसको परिदत्त पशुओं के लिए और उसको संदत्त क्रय-धन के अतिशेष के लिए (यदि कोई हो) एक पावती देगा।

17. जुमानों, व्ययों और विक्रय के आगमों के अधिशेष का व्ययन—वह अधिकारी जिसके द्वारा विक्रय किया गया था ऐसे काटे गए जुमानों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

धारा 16 के अधीन काटे गए खिलाने और पिलाने के प्रभार कांजी हौस रखवाले को संदत्त किए जाएंगे जो धारा 13 के अधीन ऐसे प्रभारों लेखे अपने द्वारा प्राप्त सब राशियों को भी प्रतिधारित और विनियोजित करेगा।

पशुओं के विक्रय के आगमों के अधिशेष, जिनका दावा न किया गया हो, जिला मजिस्ट्रेट को भेज जाएंगे जो उन्हें तीन मास के लिए निक्षेप के रूप रखेगा और यदि उस कालावधि के भीतर उनके लिए कोई दावा न किया गया और सिद्ध न हुआ तो उसकी समाप्ति पर [यह समझा जाएगा कि वह उन्हें राज्य के राजस्वों के रूप में रखे हुए हैं]।

18. जुमानों तथा अदावाकृत विक्रय के आगमों का उपयोगना।—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित।

19. अधिनियम के अधीन विक्रयों में अधिकारियों और कांजी हौस रखवालों द्वारा पशुओं का क्रय न किया जाना—कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी, या कांजी हौस रखवाला जो इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन नियुक्त हो इस अधिनियम के अधीन किसी विक्रय में किसी पशु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय नहीं करेगा।

कांजी हौस रखवालों द्वारा परिबद्ध पशुओं का निर्मोचन कब न किया जाना—कोई भी कांजी हौस रखवाला किसी परिबद्ध पशु की निर्मुक्ति या परिदान इस अध्याय के पूर्ववर्ती भाग के अनुसार करने से अन्यथा तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी निर्मुक्ति या परिदान मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायालय द्वारा आदिष्ट न हो।

अध्याय 5

अवैध अभिग्रहण या निरोध के परिवाद

20. परिवाद करने की शक्ति—कोई व्यक्ति जिसके पशु इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत किए हैं या ऐसे अभिगृहीत किए जाने पर, इस अधिनियम के उल्लंघन में निरुद्ध किए गए हैं, अभिग्रहण की तारीख से दस दिन के भीतर किसी समय, जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदेश के बिना आरोपों को ग्रहण और उनका विचारण करने के लिए प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकेगा।

21. परिवाद पर प्रक्रिया—परिवाद स्वयं परिवादी द्वारा या परिस्थितियों से वैयक्तिक रूप से परिचित किसी अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। वह लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि वह मौखिक हो तो उसका सार मजिस्ट्रेट द्वारा लिख लिया जाएगा।

यदि परिवादी या उसके अभिकर्ता की परीक्षा पर मजिस्ट्रेट यह विश्वास करने का कारण देखता है कि परिवाद सुआधारित है तो वह उस व्यक्ति को समन करेगा जिसके खिलाफ परिवाद किया गया हो और मामले की जांच करेगा।

22. अवैध अभिग्रहण या निरोध के लिए प्रतिकर—यदि अभिग्रहण या निरोध अवैध न्यायनिर्णीत किया जाए तो मजिस्ट्रेट अभिग्रहण या निरोध से हुई हानि के लिए एक सौ रुपए से अनधिक का युक्तियुक्त प्रतिकर प्रतिवादी को दिलाएगा जिसका संदाय

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है उन्हें व्ययन करेगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा मूल अध्याय 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पशुओं का निर्मोचन उपाप्त करने में परिवारी द्वारा संदत्त सब जुर्मानों और उपगत व्ययों सहित उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने अभिग्रहण दिया या पशुओं को निरुद्ध किया,

पशुओं का निर्मोचन—और यदि पशुओं का निर्मोचन नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा प्रतिकर दिलाने के अतिरिक्त, उनके निर्मोचन का आदेश देगा और यह निदेश करेगा कि इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सब जुर्माने और व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिसमें अभिग्रहण किया या पशुओं को निरुद्ध किया।

23. प्रतिकर की वसूली—धारा 22 में वर्णित प्रतिकर, जुर्माने और व्यय ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो वे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों।¹

अध्याय 6

शास्तियां

24. पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करने या उन्हें छुड़ाने के लिए शास्ति—जो कोई इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहणीय पशुओं के अभिग्रहण का बल पूर्वक विरोध करेगा,

और जो कोई अभिग्रहण के पश्चात् उन्हें या तो कांजी हौस से, या उन्हें कांजी हौस को ले जा रहे या ले ही जाने वाले किसी व्यक्ति से, जो पास में हो और इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्य कर रहा है, छुड़ाएगा,

वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए कारावास से, या पांच सौ रुपए से अनधिक के जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

²[**25. पशुओं द्वारा अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के लिए शास्ति की वसूली**—³[ठीक आगामी धारा के अधीन या] पशुओं द्वारा किसी भूमि पर अतिचार कारित करने से हुई रिष्टि के अपराध के लिए अधिरोपित कोई जुर्माना उन सब पशुओं या उनमें से किसी के विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकेगा जिनके द्वारा अतिचार किया गया था चाहे वे अतिचार करते हुए अभिगृहीत किए गए थे या नहीं और चाहे वे अपराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की सम्पत्ति हों या अतिचार किए जाने के समय उसके भाराधीन ही हों।

26. सुअरों द्वारा भूमि फसलों अथवा सार्वजनिक सड़कों को किए गए नुकसान के लिए शास्ति—सुअरों का कोई स्वामी या रखवाला जो किसी भूमि या भूमि की किसी फसल या उपज अथवा किसी सार्वजनिक सड़क पर ऐसे सुअरों को अतिचार करने देते हुए उपेक्षा से या अन्यथा उसका नुकसान करेगा या नुकसान कराएगा अथवा करने देगा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर दस रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

⁴[राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निदेश दे सकेगी कि इस धारा का पूर्वगामी भाग ऐसे पढा जाएगा मानो उसमें केवल सुअरों के प्रति निर्देश के स्थान पर पशुओं के प्रति साधारणतया या अधिसूचना में वर्णित प्रकार के पशुओं के प्रति निर्देश हो अथवा मानो “दस रुपए” शब्दों के लिए “पचास रुपए” शब्द प्रतिस्थापित कर दिए हों अथवा मानो उसमें ऐसा निर्देश और ऐसा प्रतिस्थापन दोनों हों।]

5*

*

*

*

*

27. कर्तव्य पालन में असफल होने वाले कांजी हौस रखवाले पर शास्ति—कोई कांजी हौस रखवाला जो धारा 19 के उपबंधों के प्रतिकूल पशुओं का निर्मोचन अथवा क्रय या परिदान करेगा, या किन्हीं परिरुद्ध पशुओं के लिए पर्याप्त खाने और जल की व्यवस्था करने में लोप करेगा, या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित अन्य कर्तव्यों में से किसी का पालन करने में असफल होगा वह किसी अन्य शास्ति के अलावा, जिसके वह दायित्वाधीन हो, मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष होने पर, पचास रुपए से अनधिक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

ऐसे जुर्माने कांजी हौस रखवाले के वेतन में से कटौतियों द्वारा वसूल किए जा सकेंगे।

28. धारा 25, 26 या 27 के अधीन वसूल किए गए जुर्मानों का उपयोग—धारा 25, धारा 26 या धारा 27 के अधीन वसूल किए गए सब जुर्माने सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में साबित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के रूप में पूर्णतः या भागतः विनियोजित किए जा सकेंगे।

¹ देखिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 63 से 70 तक और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421; साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 25 भी देखें।

² पशुओं का रेल पर अतिचार करने की दशा में धारा 25 के लागू होने के संबंध में देखिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 125 (3)।

³ 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 26 द्वारा अंतिम पैरा निरसित।

अध्याय 7

प्रतिकर के लिए वाद

29. प्रतिकर के लिए वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति—इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को, जिसकी भूमि की फसलों या अन्य उपज को पशुओं के अतिचार से नुकसान हुआ हो, किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिकर के लिए वाद लाने से प्रतिषिद्ध नहीं करती है।

30. मुजरा करना—सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को संदत्त किसी प्रतिकर को, ऐसे वाद में प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा दावा की गई या उसे दिलाई गई किसी राशि के प्रति मुजरा किया जा सकेगा या उसमें से काटा जा सकेगा।

अध्याय 8

अनुपूरक

31. कतिपय कृत्यों को स्थानीय प्राधिकारी को अन्तरित करने की और अधिशेष प्राप्तियों को स्थानीय निधि में जमा करने का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) अपने प्रशासनाधीन राज्यक्षेत्रों के किसी भाग के अन्दर जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो किसी स्थानीय प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के सब या किन्हीं कृत्यों का अन्तरण, उस स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के अध्यधीन स्थानीय क्षेत्र के अन्दर कर सकेगी।

2* * * * *

[अनुसूची I] निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) द्वारा निरसित।

—

¹ 1891 के अधिनियम सं० 1 की धारा 9 द्वारा अध्याय 8 जोड़ा गया।

² खण्ड (ख) भागतः 1914 के अधिनियम सं० 10 द्वारा और भागतः भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित।